

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

(5)

अपील संख्या

12/123/2017

प्रवेश तिथि

02-08-2017

निर्णय दिनांक

16-05-2018

01- मसीवा पुत्र निवाजं जाति मेव निवासी ग्राम नेहड़ा का बास(मलावली) तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर

--: अपील नम्बर

बनाम

01- नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर।

--: सेट्टेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार
लक्ष्मणगढ़ दिनांक 24.07.2017 अन्तर्गत द्वारा
91 भू रजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या
22/2017

उपस्थितः--

01-श्री उमाशंकर खंडेलवाल

--वकील अतीताण्ट

--:निर्णयः--

अपीलान्त ने यह अपील नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के आदेश दिनांक 24.07.2017 जिसके द्वारा अपीलान्त को ग्राम मलावली की किस्म कब्रिस्तान आराजी खसरा नम्बर 633 रकबा 0.46 है० में से 0.01 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों को जर्ज सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदातत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मलावली की किस्म कब्रिस्तान आराजी खसरा नम्बर 633 रकबा 0.46 है० में से 0.01 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 12.07.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलान्त को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलान्त को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलान्त को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रेवॉर्स एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र दिनांक 02.08.2017 में कब्जा छोड़ना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का खोहरा मलावली द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 24.04.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वयं आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 16-05-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुन रा गया।



(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)